राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

अपील संख्या :– 69/2024

रकमनाथ चरपोटा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बांसवाड़ा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.01.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : **श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता**

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4'ए' के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–I के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फेफर जिला बांसवाड़ा में पदस्थापित है। अपीलार्थी का वर्ष 2019 में 6डी में चयन किया जाकर सेटअप परिवर्तन कर समायोजन किया जाकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फेफर, जिला बांसवाड़ा में किया गया। जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 12.06.2019 (अनुलग्नक–1) को कार्यग्रहण कर लिया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 6डी की प्रक्रिया में अपनाई गई थी, उसमें कही पर जिला स्तर पर बनाई गई कहीं ब्लॉक स्तर पर बनाई गई। शहरी क्षेत्र के कार्मिक को उक्त चयन प्रक्रिया से बाहर रखा गया। जो कि सविधान के अनुच्देद 14, 16, एवं 19 की अवहेलना है। साथ ही पदों को छुपा लिया गया और कनिष्ट कार्मिकों को

6डी में शामिल कर लिया गया, जबकि वरिष्ठ कार्मिकों को इसमें शामिल नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16.05.2023 (अनुलग्नक–2) को प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की पत्नी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तथा अपीलार्थी स्वयं घुटने की बीमारी से पीड़ित है। अपीलार्थी का पदस्थापन गृह जिले से 65 कि.मी. दूर है। अपीलार्थी की परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भवरबोर, ब्लॉक घाटोल, जिला बांसवाड़ा एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुवानिया, जिला बांसवाड़ा में पद रिक्त है, में से किसी भी स्थान पर पदस्थापन किया जावे। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 09.03.2023 एवं 02.12.2023 को अधिवक्ता के माध्यम से विधिक नोटिस दिया जाकर उपरोक्त वर्णित दो विद्यालयों में से किसी भी विद्यालय में पदस्थापन करने का निवेदन किया, जिस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थी द्वारा दिये अभ्यावेदन में वर्णित राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भवरबोर, ब्लॉक घाटोल, जिला बांसवाड़ा एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुवानिया, जिला बांसवाड़ा में पद रिक्त है, में से किसी भी स्थान पर पदस्थापन किया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का 6डी में चयन किया जाकर सेटअप परिवर्तन कर समायोजन माध्यमिक शिक्षा में किया जाकर पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फेफर जिला बांसवाड़ा में पदस्थापन किया गया है, जो नियमानुसार है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। **माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए. आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

5. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

6. आदेश आज दिनांक ..... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य